कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ.3–15(सी)AA-529/अनु:3/डी– 724 दिनांक– 15/6/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पंजीयन आदेश संख्याः–एफ.3–15(सी)AA-529/अनु:3/डी–447 दिनांक 23.07.2014 द्वारा **मैसर्स आदित्य कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, वार्ड नं. 30, नेतजी मन्दिर के पास, राजगढ़, चूरु** को 'एए' श्रेणी में स्थायी रुप से पंजीकृत किया गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग जोधपुर द्वारा पत्रांक–11147 दिनांक 28.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त फर्म द्वारा खान उपागमन सड़क निर्माण, सुदृढिकरण जलेरा कल्ला से जलेरा खुर्द वादल कार्य हेतु बिड प्रक्रिया में अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड खेतड़ी के द्वारा जारी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी जांच कराने पर अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड खेतड़ी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उक्त फर्म को कोई कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। फर्म द्वारा मिथ्या/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर संभाग कार्यालय द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में विभिन्न प्रावधानों के आधार पर धारा 11 (3 च) एवं 46 (3) के अधीन नियमानुसार विवर्जित (Debar) फर्म को करने हेतु अभिशंषा से इस कार्यालय को अवगत कराया है। फर्म का उक्त कृत्य आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 की धारा 11 का उल्लंघन है। फर्म को इस कार्यालय के पत्रांक 1273 दिनांक 20.12.2017 एवं पत्रांक–1618 दिनांक 21.02.2018 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में फर्म से प्राप्त प्रत्युत्तर दिनांक 05.03.2018 का सत्यापन संभाग स्तर से करवाये जाने एवं विभागीय परीक्षण के आधार पर फर्म का प्रत्युत्तर अमान्य पाया गया।

अतः अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग–जोधपुर अनुशंषा के आधार पर मैसर्स आदित्य कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, वार्ड नं. 30, नेतजी मन्दिर के पास, राजगढ़, चूरु को **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में विभिन्न प्रावधानों के आधार पर धारा 11 (3 च) एवं 46 (3) के अधीन नियमों के अनुसरण में इस कार्यालय आदेश जारी होने की दिनांक से 1 (एक) वर्ष हेतु निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।**

Sd/-
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. महालेखाकार,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता,सिंचाई/जन–स्वास्थ्य अभि. विभाग/भू–जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर।
4. आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि.,जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
7. अति.मुख्य अभियंता,सा.नि.वि.(समस्त) ।
8. निदेशक अभियांत्रिक,जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
9. सचिव ,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता,सा.नि,वि, (समस्त)
11. तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियंता(भवन/पथ/राराऊ मार्ग/ई–टेंडरिंग, मु.अ. कार्यालय, सा.नि.वि.जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी),सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश सा.नि.वि. की विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
13. **मैसर्स आदित्य कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, वार्ड नं. 30, नेतजी मन्दिर के पास, राजगढ़, चूरु**

15/6/22
(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर